पुनर्गठन
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2019/2773 जयपुर, दिनांकः 13-9-2019

1. ज़िला कलेक्टर ,
   समस्त (राजस्थान)।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद, समस्त(राजस्थान) ।

विषयः– पंचायत पुनर्गठन संबंधित न्यायिक प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत किये जाने बाबत ।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि आप द्वारा ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन बाबत तैयार किये गए प्रस्तावों के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ में विभिन्न याचिकाऐं दायर की गई है। ऐसी याचिकाओं में विभाग द्वारा संबंधित ज़िले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है/जा रहा है। पुनर्गठन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से निर्धारित समयावधि में सम्पन्न किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि पुनर्गठन से संबंधित याचिकाओं/न्यायिक प्रकरणों को वरीयता से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। इस सम्बन्ध में कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करावें:–

1. ऐसे प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद संबंधित को नियुक्त किया जा रहा है किन्तु यह उल्लेखनीय है कि पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार किये जाने का कार्य अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारियों द्वारा किया गया हैं। **अतः ज़िला कलेक्टर अविलम्ब अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर एवं समस्त उप खण्ड अधिकरियों को निर्देशित करें कि वे न्यायिक प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत करने हेतु तैयार की जाने वाली तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए वांछित रिकॉर्ड एवं अपना सहयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करवाया** जाना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनर्गठन वाले प्रकरणों में रिट की प्रति/OIC नियुक्त आदेश प्राप्त होते ही मुख्य पीठ जोधपुर के लिए श्री सुनील बेनीवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा जयपुर पीठ के लिए सुश्री शीतल मिर्धा, अतिरिक्त महाधिवक्ता से अविलम्ब व्यक्तिशः सम्पर्क स्थापित कर, सम्पूर्ण तथ्यों सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिया जाना सुनिश्चित करें।

13/9

(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्री सुनील बेनीवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायायल जोधपुर।
2. सुश्री शीतल मिर्धा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर ।
3. एसीपी कम उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)